प्रवेश एवं शैक्षिक क्रियाकलापों की रूपरेखा :

क्र.सं.	प्रवेश एवं शैक्षिक क्रियाकलाप	जुलाई सत्र		जनवरी सत्र	
		सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली	सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली
1	सूचना विवरणिका की अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्धता	वर्ष पर्यन्त		वर्ष पर्यन्त	
2	ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र एवं प्रवेश की तिथि	01 मई से 30 अगस्त		1 नवम्बर से 28 फरवरी	
3	अध्ययन केन्द्रों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन को अंतिम तिथि	07 सितम्बर		07 मार्च	
4	अध्ययन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रवेश फार्म का प्रिन्ट आउट सभी संलग्नकों सहित प्रेषित करने की तिथि	07 सितम्बर एवं 07 मार्च तक			
5	क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रवेश अनुभाग को अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त प्रवेश फार्म का प्रिन्ट आउट सभी संलग्नकों सहित प्रेषित करने कि तिथि	14 सितम्बर एवं 14 मार्च तक			
6	परामर्श सत्र संचालन हेतु प्रस्तावित माह।	अक्टूबर–नवम्बर	मार्च–अप्रैल	मार्च–अप्रैल	अक्टूबर–नवम्बर
7	शिक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केन्द्र पर अधिन्यास पुस्तिका जमा करने की तिथि।	31 अक्टूबर	31 मार्च	31 मार्च	31 अक्टूबर
8	शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु मूल्यांकित अधिन्यास	दिसम्बर	मई	मई	दिसम्बर

	पुस्तिका वापस करने का माह।				
9	शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना/लघु शोध कार्य अध्ययन केन्द्रों पर जमा करने की अन्तिम तिथि।	30 नवम्बर	30 अप्रैल	30 अप्रैल	30 नवम्बर
10	मूल्यांकित परियोजना/ लघु शोध कार्य के आन्तरिक अंक परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर
11	अध्ययन केन्द्रों द्वारा जमा परियोजना कार्य/लघु शोध तीन प्रतियों में बाह्य मूल्यांकन हेतु परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर
12	बैक परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि।	31 अक्टूबर	31 मार्च	31 मार्च	31 अक्टूबर
13	अध्ययन केन्द्रों द्वारा ऑन लाइन भरे हुए बैक परीक्षा फार्म के प्रिण्ट आउट को शुल्क चालान सहित परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	10 नवम्बर	10 अप्रैल	10 अप्रैल	10 नवम्बर
13	परीक्षा प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर

- अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थियों के ऑन लाइन प्रवेश को उनकी उपस्थिति में ही कन्फर्म करेंगे। शिक्षार्थी के आवेदन पत्र को यदि अंतिम तिथि के बाद कन्फर्म किया जाता है तो उसका नामांकन कन्फर्म किये गये सत्र के सापेक्ष किया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अध्ययन केन्द्र समन्वयक की होगी।
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक यह आश्वस्त हो लें कि ऑन लाइन प्रवेश लेने वाला शिक्षार्थी जिस कार्यक्रम में वह प्रवेश लेना चाहता है उसके लिए पूर्णतया अर्ह है। अनर्ह शिक्षार्थी का प्रवेश कदापि न करें। **अनर्ह शिक्षार्थी के ऑन लाइन प्रवेश को सुनिश्चित करने की दशा में इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अध्ययन केन्द्र समन्वयक, प्राचार्य एवं स्वयं शिक्षार्थी की होगी और उसके द्वारा जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जायेगा।**
- **अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थी के ऑन लाइन प्रवेश की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात उसके ई–फार्म के प्रिण्ट आउट के साथ उसकी योग्यता प्रदायी सभी अंकतालिकाओं एवं उपाधि की प्रमाणित छायाप्रति एवं एण्टी रैगिंग शपथ फार्म के प्रिण्ट आउट की छायाप्रति को एक साथ संलग्न करते हुए अपने से सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र पर प्रवेश की अन्तिम तिथि के एक सप्ताह के पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।**
- परामर्श कक्षाओं की सूचना एवं समय–सारणी अध्ययन केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराएँ और एक प्रति विश्वविद्यालय में स्थापित परामर्श प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराएँ। यदि परामर्श कक्षाओं की समय–सारणी परामर्श सत्र संचालन से पूर्व परामर्श प्रकोष्ठ को प्रेषित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में परामर्श सत्रों के मानदेय का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।
- **विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/प्राचार्यों/निदेशकों से अपेक्षा है कि परामर्श सत्र की समाप्ति के तीन माह के अन्दर निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार परामर्श देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा विलम्ब से प्राप्त परामर्श देयकों के भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।**
- अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श–सत्र ले रहे प्राध्यापकों का पूर्ण विवरण (नाम, पद, अनुभव, पता एवं मोबाइल नम्बर आदि) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड–पार्सल के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र को निर्धारित तिथि तक अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- अधिन्यास मूल्यांकन हेतु अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श कक्षाओं को ले रहे प्राध्यापकों की सूची परामर्श प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाना है। परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा इन प्राध्यापकों का अनुमोदन माननीय कुलपति जी से प्राप्त किया जायेगा। यही प्राध्यापक अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अर्ह माने जायेंगे।
- अधिन्यास कार्य में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें निरीक्षण हेतु मुख्यालय पर मंगवाई जा सकती है।
- **पूर्व की भांति अध्ययन केन्द्र समन्वयक अपने केन्द्र पर जमा 'अधिन्यास उत्तर पुस्तिका' को मूल्यांकित कराकर निर्धारित तिथि तक अधिन्यास अंक हार्डकापी में एवं ऑन लाइन अनिवार्य रूप से अपने से विश्वविद्यालय को तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र को अवश्य उपलब्ध करा दें।**
- मानदेय इत्यादि बिल के भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र का ही प्रयोग करें और समन्वयक अपने हस्ताक्षर के साथ वाउचर इत्यादि समस्त पत्रजात अवश्य संलग्न करें।
- विशेष परिस्थितियों में अथवा पर्याप्त छात्र संख्या न होने पर विश्वविद्यालय को किसी कार्यक्रम को वर्तमान सत्र में सर्वत्र या किसी विशेष केन्द्र पर बन्द करने या न चलाने का अधिकार होगा।
- अध्ययन/सम्पक्र केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र आबंटन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

- **आपके केन्द्र को जिन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु अधिकृत किया गया है, केवल उन्हीं कार्यक्रमों में प्रवेश लें। ऐसे कार्यक्रम जिनमें आपको अनुमति नहीं है, प्रवेश न लें।**
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक सम्बन्धित विषय के परियोजना निर्देशक से परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु सम्पूर्ण विवरण (नाम, पद, अनुभव, पता, मोबाइल नम्बर) को प्राप्त करके सूची के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ई–प्रवेश आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों की जाँच करने के पश्चात् आश्वस्त होने पर ही ई–आवेदन पत्र को प्रवेश हेतु कन्फर्म करें। अनर्ह, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं निर्धारित शुल्क के बिना प्रवेश आवेदन फार्म पर कम्प्यूटर द्वारा किसी भी दशा में प्रवेश को कन्फर्म न करें। अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश आवेदन फार्म की हार्डकॉपी को अग्रसारित करने पर यदि शिक्षार्थी का प्रवेश किसी समय निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र एवं अध्ययन केन्द्र समन्वयक का होगा।
- प्रथम वर्ष के प्रवेशित शिक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित करें कि जब तक उनका कार्यक्रम पूर्ण न हो सूचना विवरणिका को अपने पास संरक्षित रखें एवं नियमों तथा आवश्यक अनुदेश हेतु समय–समय पर इसका अवलोकन करते रहें।
- **विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नियमों, कार्यक्रम–प्रारूप, कार्यक्रम शुल्क, नवीन कार्यक्रमों, प्रवेश परीक्षा आदि से सम्बन्धित विस्तृत/संशोधित अद्यतन सूचना समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी तथा अंतिम रूप से मान्य होगी।**
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थियों के जमा हार्ड कॉपी फार्म को अपने पैनल पर क्रास चेक करते हुए प्रवेश को कन्फर्म करेंगे।
  - अध्ययन केन्द्र प्रत्येक फार्म का सत्यापन करते हुए शिक्षार्थी द्वारा प्रवेश आवेदन फार्म में प्रविष्टि की गई जानकारियों को शिक्षार्थी के ई–फार्म से मिलान करने के पश्चात् ही उनके प्रवेश को कन्फर्म करेंगे।
  - शिक्षार्थी अपने फोटो एवं हस्ताक्षर को स्कैन करने के पश्चात् ई–फार्म में अपलोड करेंगे।
  - अध्ययन केन्द्र शिक्षार्थी के ई–फार्म को पूर्ण रूप से पूरित एवं सत्यापित करते हुए प्रवेश पैनल पर शिक्षार्थी के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे।
  - अध्ययन केन्द्र द्वारा शिक्षार्थी के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करते ही शिक्षार्थी को एस.एम.एस. से उसके प्रवेश सुनिश्चित होने की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
  - अध्ययन केन्द्रों को अपने केन्द्र पर प्रवेशित सभी कार्यक्रमों के छात्रों की सूची प्रवेश पैनल से निकाल कर सभी शिक्षार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र पर ई–फार्म के प्रिन्ट आउट व शैक्षिक अभिलेखों की छाया प्रति संलग्न करते हुऐ अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी।
  - अध्ययन केन्द्र द्वारा शिक्षार्थी के ऑनलाइन फार्म की कम्प्यूटर प्रविष्टि करते ही विश्वविद्यालय के पाठ्य सामग्री अनुभाग के पैनल पर पाठ्य सामग्री प्रेषण हेतु शिक्षार्थी से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
  - आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्रीय केन्द्र से सम्पक्र करें और क्षेत्रीय समन्वयक से दिशा–निर्देश प्राप्त करें।
  - **इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शिक्षार्थी यदि किसी अन्य कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है तो ऐसे शिक्षार्थियों को भी अर्हता सम्बन्धी सभी अंकतालिकाएं प्रवेश के समय ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म के प्रिन्ट आउट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण अंकतालिका पर प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में नामांकित शिक्षार्थी का भी प्रवेश अपूर्ण अंकतालिका पर स्वीकार नहीं होगा।**
  - **शिक्षार्थियों द्वारा प्रवेश सम्बन्धी यदि कोई संशोधन हो तो प्रवेश के बेसिक डाटा में 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से करा लें। उसके बाद किसी प्रकार के संशोधन के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ निर्धारित शुल्क रु. 400/– देना होगा।**

<u>क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयकों के लिए महत्त्वपूर्ण अनुदेश</u>

- **सभी क्षेत्रीय केन्द्रों को भी अपना एक कोड आवंटित कर दिया गया है और उन्हें एक अध्ययन केन्द्र के रूप में भी प्रवेश लेना होगा एवं अन्य कार्य सम्पादित करने होंगे। प्रवेश से सम्बन्धित समस्त प्रकियाएँ उनके स्तर से सम्पादित की जायेंगी। उनका अपना एक स्वतन्त्र प्रवेश पैनल होगा।**

- विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित कार्य क्षेत्रीय केन्द्रों पर सम्पन्न हो रहे हैं। क्षेत्रीय केन्द्र अपने अन्तर्गत आने वाले सभी अध्ययन केन्द्रों से सम्पक्र कर यथासमय शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित तिथियों के अनुरूप समुचित कार्यव्यवस्था को अपने दिशा–निर्देश में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

- क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा शिक्षार्थी के प्रवेश को कन्फर्म करते ही शिक्षार्थी की नामांकन संख्या जनरेट हो जायेगी साथ ही शिक्षार्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से नामांकन संख्या प्राप्त हो जायेगी।
- क्षेत्रीय केन्द्र सभी अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त फार्मों तथा अपने पैनल से एक कम्प्लीट रिपोर्ट निकालकर उसको प्रवेश आवेदन फार्मों के प्रिन्ट आउट के साथ संलग्न कर विश्वविद्यालय के प्रवेश अनुभाग को प्रेषित करेंगे।
- विश्वविद्यालय का प्रवेश अनुभाग अपने ऑन लाइन प्रवेश के मास्टर पैनल पर इस सम्पूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा।
- अध्ययन केन्द्र से सम्बन्धित कार्य के समयबद्ध सम्पादन के लिए क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों तक कार्य को अपनी देख–रेख में सम्पन्न करायें।

प्रवेश एवं शैक्षिक क्रियाकलापों की रूपरेखा :

क्रं. सं.	प्रवेश एवं शैक्षिक क्रियाकलाप	जुलाई सत्र		जनवरी सत्र	
		सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली	सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली
1	अध्ययन केन्द्रों पर जमा अधिन्यास पुस्तिका का मूल्यांकन	30 नवम्बर	30 अप्रैल	30 अप्रैल	30 नवम्बर
2	मूल्यांकित अधिन्यास अंकों की सी.डी. परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध करवाने की तिथि।	07 दिसम्बर	07 मई	07 मई	07 दिसम्बर
3	शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि हेतु मूल्यांकित अधिन्यास पुस्तिका वापस करवाने की तिथि।	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर
4	परीक्षा प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि।	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर

- **सभी क्षेत्रीय केन्द्र अध्ययन केन्द्रों हेतु विवरणिका में मुद्रित महत्वपूर्ण निर्देशों का सम्यक् अवलोकन कर उनका सम्पादन करेंगे।**
- **उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयक समय–समय पर विश्वविद्यालय से सम्पक्र स्थापित कर, उसके दिशा–निर्देशों का सम्यक अनुसरण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।**

स्नातक कार्यक्रम मे प्रवेश, निकास और पुनः प्रवेश प्रकिया

1.स्नातक कार्यकम के पहले वर्ष (2सेमेस्टर) के पुरा होने पर छात्र एक प्रमाण पत्र के साथ कार्यक्रम से बाहर निकल सकते है और 2 दो साल (4सेमेस्टर) पूरा होने के बाद डिप्लोमा के साथ बाहर निकल सकते है।

3 छात्र को तीन साल 6 सेमेस्टर पूरा करने के बाद स्नातक की डिग्री से सम्मनित किया जाएगा।

4 छात्र को बाहर निकलने के बाद अगले स्तर पर फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाऐगी।

5 छात्र को निर्धरित पूर्वापेक्षाओ के आधार पर दूसरे /तीसरे वर्ष मे सशर्त विषय परिवर्तन की अनुमति दी जायेगी।

स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रवेश, निकास और पुनः प्रवेश प्रक्रिया

1.स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पहले वर्ष (2सेमेस्टर) के पूरा होने पर छात्र संकाय मे स्नातक (अनुसंधान) की डिग्री के साथ कार्यक्रम से बाहर निकल सकते है।

2.स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दोनो वर्षो के पूरा होने के बाद छात्र को मास्टर डिग्री से सम्मानित किया जायेगा।

3. छात्र को बाहर निकलने के बाद अगले स्तर पर फिर से प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

सेमेस्टर –वार पाठ्यक्रम क्रेडिट वितरणः तालिका अगले पृष्ठ पर संलग्न

योग्य वृद्वि पाठ्यक्रम (एईसी) कौशल वृद्वि पाठ्यक्रम (एसईसी) और मूल्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम (वीएसी)

ये तीन पाठ्यक्रम सभी विभागों द्वारा विषम और सेमेस्टर समूहों मे पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक पूल होगा, जिसमे से छात्र चुन सकते है।

एक छात्र जो अकादमिक परियोजना /उद्यमिता को नाबालिक बनाना चाहता है, उसे जीई, एसईसी, वीएसी, और इंटर्नशिप /शिक्षुता /परियोजना /समुदाय (आईएपीसी) के पाठ्यक्रमों का उपयुक्त संयोजन चुनना होगा जो की योजना मे निर्दिष्ट विभिन्न मॉड्यूल के रूप मे पेश किया जायेगा।

(1) एईसी पाठ्यक्रम विषय –वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम है जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रो के माध्यम से ज्ञान वृद्वि की ओर ले जाते है। वे भाषा और साहित्य और पर्यावरण विज्ञान और सतत विकास है जो सभी विषयो के लिए अनिवार्य होगें।

(2) एईसी सभी विषयों मे कौशल –आधारित पाठयक्रम है और इनका उद्देश्य छात्रों को प्रशिक्षण, दक्षता, प्रवीणता और कौशल प्रदान करना है एसईसी पाठ्यक्रमो को कौशल –आधारित निर्देश के लिए डिजाइन किए गये पाठ्यक्रमो के पूल से चुना जा सकता है। प्रत्येक अनुशासन कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान कर सकता है, जिनमें से कुछ अपने अनुशासन के छात्रों को पेश किए जा सकते है। जबकि बाकी अन्य सभी विषयों के छात्रों के लिए खुले हो सकते है।